FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुरजाराम बनाम शिशपाल वगै0

किस्म मुकदमा – दावा अ.धा 53, 188 आर टी एक्ट मुकदमा नम्बर – 73 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07.06.2023	वादी की ओर से वकील श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय एड0 ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 26.06.2023 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	1652-57/रीडर 8-6-2023
26-6-2023	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप. [illegible] अधिकारी दौरे [illegible] में [illegible] अवकाश पर [illegible] है। [illegible] दिनांक 10-7-23 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
	10-7-23 पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य से [illegible]/[illegible] में है। पत्रावली [illegible] [illegible] हो दिनांक 18-9-23 को पेश हो।	
10.08.2023	वकील वादी के प्रार्थना [illegible] तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 18.09.2023 से पूर्व तलब होने पर आज पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकार उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र — लगातार —	जारीकर्ता (सरदार सिंह कुड़ी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:44 IST
Reason: SelfAttested

दुर्गाराम बनाम रिछपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
	दावा प्र.नं. – 73/2023	

प्रस्तुत कर वाद पत्र में पक्षकारान् ने आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिये जाने से प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किए जाने का निवेदन करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किए। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किए जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

10/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:44 IST
Reason: SelfAttested